अमर उजाला
9-11-2008.

हाईकोर्ट में लोक अदालत 41 मामले हुए निस्तारित

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वृहद लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 41 मोटर दुर्घटना मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया।

प्राधिकरण अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीसी कांडपाल की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, बजाज, आईसीआईसीआई आदि बीमा कंपनियों से संबंधित 41 मोटर दुर्घटना मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इसमें 80 लाख 93 हजार रुपए का मुआवजा पीड़ित पक्षकारों को दिलाया गया। एक मामले में वाहन स्वामी ने पीड़ित पक्षकार को 95 हजार रुपए की धनराशि नकद भुगतान की। इस दौरान प्राधिकरण की ओर से वादकारियों को निःशुल्क कानूनी पुस्तकें वितरित की गईं। लोक अदालत में रजिस्ट्रार (सतर्कता) रविंद्र मैठाणी, रजिस्ट्रार (न्यायिक) प्रदीप पंत, प्राधिकरण सचिव प्रशांत जोशी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता मौजूद थे। अगली लोक अदालत 29 नवंबर को लगेगी, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।